



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)
PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

6/11/97

सं० 441]
No. 441]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 28, 1987/भाद्रपद 6, 1909
NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 28, 1987/BHADRA 6, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as
a separate compilation

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 1987

सा.का.नि. 735 (घ).—औषधि और प्रसाधन सामग्री अधि-
नियम, 1940 (1940 का 23) का और संशोधन करने के लिए
एक संशोधन प्रारूप उक्त अधिनियम की धारा 33 ग की उपखण-
नूसार भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की
अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1268 (अ) तारीख 8 दिसम्बर, 1986
के अधीन प्रकाशित किया गया था, जिनमें उन सभी व्यक्तियों से,
जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी। उस तारीख से, जिसको
उस राजपत्र की, जिसमें उक्त अधिसूचना निहित थी, प्रतियां जनता
को उपलब्ध करा दी गई थी, 3 मास की अवधि के अवसान से पहले
आक्षेप और सुझाव मांगे गये थे.

और उक्त राजपत्र 29 दिसम्बर, 1986 को जनता को उपलब्ध
करा दिया गया था;

और उक्त संशोधन प्रारूप के संबंध में जनता से कोई आक्षेप
या सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं.

अतः अब, केन्द्रीय सरकार औषधि और प्रसाधन सामग्री अधि-
नियम 1940 की धारा 33 ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते
हुए आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी औषधि तकनीकी सलाहकार
बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् औषधि और प्रसाधन सामग्री अधि-
नियम 1940 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित संशोधन
करती है;

औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940¹ (1940 का 23)
प्रथम अनुसूची में:—

(i) "क"—आयुर्वेदिक और सिद्ध प्रणालियां" शीर्षक के नीचे—

(क) कम संख्या 54 के पश्चात् निम्नलिखित कम संख्यांक
और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"54-क आयुर्वेदिक फार्मूलरी आफ इंडिया भाग (I)"
"54-ख आयुर्वेदिक सार संग्रह";

(ख) कम संख्यांक 83 के पश्चात् निम्नलिखित कम संख्यांक
और प्रविष्टि जोड़ी जाएगी, अर्थात्:—

"84—सिद्ध फार्मूलरी आफ इंडिया (भाग-I)" और

(ii) "ब—यूनानी तिब्ब प्रणाली" शीर्षक के नीचे, क्रम संख्यांक 12 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि जोड़ी जाएगी, अर्थात् :—

"13 नेशनल फार्म्युलरी प्राफ यूनानी मेडिसिन (भाग I)"

[स. के. 11022/3/86-ए.पी.सी.]

एस.के. प्रालोक, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

(Department of Health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th August, 1987

G.S.R. 735(E).—Whereas a draft amendment further to amend the Drugs and Cosmetic, Act, 1940 (23 of 1940) was published as required by section 33O of the said Act, under the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare No. G.S.R. 1268(E) dated the 8th December, 1986 inviting objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of a period of 3 months from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 29th December, 1986;

And whereas no objection or suggestions have been received from the public on the said draft amendment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 33 O of the Drugs and Cosmetics Act, 1940, the Central Government after consultation with the Ayurvedic, Siddha and Unani Drugs Technical Advisory Board makes the following amendment further to amend the Drugs and Cosmetics Act, 1940 :—

In the First Schedule to the Drugs and Cosmetics Act 1940, (23 of 1940) :—

(i) under the heading "A—AYURVEDIC AND SIDDHA SYSTEMS",

(a) After serial Number 54, the following serial number and entries shall be inserted, namely :—

"54—A Ayurvedic Formulary of India (Part-I)".

"54—B Ayurveda Sara Samgraha";

(b) after serial Number 83, the following serial number and entry shall be added, namely :—

"84—Siddha Formulary of India (Part-I)" and

(ii) Under the heading "B—UNANI TIBB SYSTEM", after serial number 12, the following serial number entry shall be added, namely :—

"13—National Formulary of Unani Medicine (Part-I)".

[No. K-11022/3/86-APC]
S. K. ALOK, Jt. Secy.